राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12593/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
सैयद नजीर हसन मोहल्ला गोल नियर मस्जिद, गोंल टांेक, टौंक,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सुचना अधिकारी राज. बोर्ड ऑफ मुस्लिम वस्फ, ज्योति नगर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रईस अहमद उसमानी, लिपिक ग्रेड-प्रथम (रिटायर्ड), उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 3-4-17 के द्वारा राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के चेयरमेन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के यात्रा भत्तों व अन्य खर्चों के सम्बन्ध में 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 6-12-17 से बिन्दुवार 236 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथा अपीलार्थी की पावती भी ले ली गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 10-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिन्दुवार 236 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त